UPPG010065322022

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, प्रतापगढ़।

<u>पीठासीन अधिकारी–श्री प्रदीप कुमार सिंह–।।, (उच्चतर न्यायिक सेवा)</u>

जमानत प्रार्थना पत्र सं० ३१८०/२०२२

हरिकेश उर्फ टेनी उर्फ पेड़ई आयु लगभग ५० वर्ष सुत कल्लू सरोज

निवासी हियातनगर पुरनेमउ, थाना हथिगवां, जिला प्रतापगढ़।

... ... आवेदक/अभियुक्त

बनाम

राज्य उ०प्र० ... ... विपक्षी

अपराध संख्या– १८७/२०२२

धारा– १४७, ३०४, २०१ भा०द०सं०

थाना– हथिगवां, **जिला–**प्रतापगढ़।

आवेदक/अभियुक्त हरिकेश उर्फ टेनी उर्फ पेड़ई की ओर से यह जमानत आवेदन–पत्र धारा १४७, ३०४, २०१ भारतीय दण्ड संहिता के अधीन इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज करायी गयी है जिसका कोई स्पष्टीकरण नही है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में चार लोग नामजद किये गये और पांचवे नंबर पर शिव मोहन के ससुराल वाले नाम पता अज्ञात अंकित किया गया और तहरीर में भी नामजद अभियुक्तों की ही भूमिका बतायी गयी है लेकिन दौरान विवेचना पुलिस द्वारा मुखबिर के हवाले से एक कथानक रचा गया जिसमें आवेदक को मुल्जिम बनाया गया और फिर आवेदक की गिरफ्तारी कर उसकी स्वीकारोक्ति दर्ज की गयी और यह आरोप लगाया गया कि आवेदक ने खेत में बाड़ लगाकर उसमें करेन्ट दौड़ाया जिससे मृतक की मृत्यु हुई। जबकि मृतक का शव प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार घर पर था और वह यदि अभियोजन कथानक पर विश्वास किया जाए तो उक्त शव आवेदक के खेत से बरामद भी नही हुआ। यहां तक कि आवेदक का खेत उक्त तथाकथित घटना के आसपास है ही नही। आवेदक को मामले में झूठा निर्लिप्त किया गया है। अतः आवेदक की जमानत स्वीकार की जाय।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) ने जमानत का विरोध किया गया एवं तर्क दिया गया कि घटना दिनांक ०६.०९.२०२२ को रात्रि ८.०० बजे की है और प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक ०७.०९.२०२२ को १२.०९ दर्ज हुई। इस मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज करने का लाभ आवेदक को प्राप्त नही होता है क्योंकि नामजद व्यक्ति से भिन्न मामले में अभियुक्त पाया गया है। शव विच्छेन आख्या के अनुसार मृतक की मृत्यु उसके हाथों में दो भिन्न–भिन्न स्थान पर जलने की चोटों के कारण होना पाया गया और उक्त जलने का अलामात बिजली का करेन्ट से होने का भी उल्लेख शव विच्छेदन आख्या में है। विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा साक्षी प्रिया तिवारी व धर्मेन्द्र तिवारी एवं अन्य साक्षीगण के साक्ष्य के आधार पर यह तर्क दिया कि घटना के दिन विद्युत सप्लाई जारी होने पर मृतक अपने खेत पर पानी

लगाने व खाद डालने गया था। उस खेत के बगल में स्थित बाग व खेत की रखवाली आवेदक करता है जोकि मृतक के गांव का है और उस खेत व बाग के मालिक अन्य गांव में रहते है। विद्युत सप्लाई जारी होने पर आवेदक के रखवाली वाले उपरोक्त खेत में जानवरों के प्रवेश को रोकने के लिए लगाये गये नंगे तार की बाड़ पर करेन्ट दौड़ा दिया जिसकी चपेट में आकर मृतक की मृत्यु हुई। जिस बाग में मृतक के परिवार वालों द्वारा तलाश किये जाने पर उसका शव खेत में पड़ा मिला जिसे वे लोग घर उठा लाये और नामजद अभियुक्तों से पूर्व में चल रही रंजिश के कारण प्रथम सूचना रिपोर्ट उनके विरूद्ध दर्ज करायी गयी लेकिन दौरान विवेचना मृतक की मृत्यु का कारण स्थापित होने पर तथा साक्षीगण के बयानों के आधार पर एवं आवेदक के रखवाली वाले खेत पर तार व उसमें करेन्ट के सन्दर्भ में साक्ष्य संकलित की गयी है। विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा यह भी कथन किया गया कि मामले में विवेचना चल रही है और आवेदक के साथ–साथ उस खेत व बाग के मालिकान के विरूद्ध भी कार्यवाही सम्भावित है। आवेदक की भूमिका के सन्दर्भ में स्पष्ट साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध है। अतः जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाय।

उभयपक्षों के तर्कों को विस्तारपूर्वक सुना एवं अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

आपराधिक मामले की जांच शुरू करने के लिए थाने पर दी गयी तहरीर में कथन किया गया है कि दिनांक ०६.०९.२०२२ को समय करीब ८.०० बजे शाम के वादी पिता जगदीश प्रसाद तिवारी उम्र करीब 45 वर्ष को उसके गाँव के शिवमोहन तिवारी, राज तिवारी, माधुरी तिवारी, खुशी तिवारी व शिवमोहन के ससुराल वालों ने मिलकर उसके पिता की गला दबाकर हत्या कर दी है, जो पुरानी रनजीश को लेकर हत्या किया है।

दौरान विवेचना प्रेषित मृतक की शव विच्छेन आख्या के अनुसार मृतक के दाहिने हाथ के मध्य उंगली, उसके बाद रिंग व छोटी उंगली के पास बिजली से जलने के आलामात और दाहिने हाथ की अंगुली पर भी बिजली से जलने के आलामात पाये गये। शव विच्छेदन आख्या के अनुसार मृतक की मृत्यु विद्युत करेन्ट से जलने के कारण हुई है।

दौरान विवेचना प्रिया तिवारी का दर्ज बयान अन्तर्गत १६१ दण्ड प्रक्रिया संहिता के अनुसार दिनांक ०६.०९.२०२२ को दोपहर करीब २.०० बजे बिजली आयी थी तो खेतों में पानी भरने हेतु उसके पिता जगदीश प्रसाद तिवारी, धर्मेन्द्र तिवारी के ट्यूबवेल पर गये थे वहाँ से ट्यूबवेल चलवाने के बाद पापा धान के खेत पर चले गये वही बगल का खेत जिसमें कुछ हिस्से में आम का बाग लगा है तथा कुछ हिस्से में खेती होती है वह खेत/बाग बगल के गांव डीहा के ठाकुर लोगों का है उस बाग/खेत की देखरेख हरिकेश सरोज उर्फ टेनी जो उसके ही गाँव का रहने वाला है, करता है। खेत के चारो तरफ बांस बल्लियों में कटीले तार लगाये हुए है तथा आवारा जानवरों से खेत की रखवाली के लिये उन्हीं में बिजली का करेन्ट भी दौड़ाता है। टेनी खेतो में खाद तथा बीज भी छिड़कता है उसी के पास उसके पिता भी धान की फसल में खाद छिड़कने को कहने हेतु शाम करीब ४.०० बजे गये थे। शाम होने के बाद जब उसके पिता घर नहीं लौटे तो उन लोगों को चिंता होने लगी क्योंकि वह खेतों के काम के बाद घर ही आते थे और जिस खेत में पापा पानी भर रहे थे उसमें करीब ०३ घण्टे में पानी भर जाता है फिर भी जब पिता घर नहीं लौटे तो उन लोगों को चिन्ता होने लगी तो वह और उसकी मां दोनों धर्मेन्द्र तिवारी के ट्यूबवेल की तरफ जा रहे थे रास्ते में जाते समय अपने खेत में काम कर रहे टेनी मिले उससे पापा के बारे में

पूछा तो बताया कि उसके पास शाम करीब ४.०० बजे आपके पापा धान में खाद छिड़कने को कहने हेतु आये थे उसकी तबियत ठीक नहीं थी तो उसने मना कर दिया था और कहा कि किसी और से खाद छिड़कवा लीजिये। फिर वहाँ से धर्मेन्द्र तिवारी के ट्यूबवेल पर पहुँचे तो वहाँ धर्मेन्द्र के भाई पंकज तिवारी व कुछ अन्य लोग मौजूद थे वहीं पर झोपड़ी में पापा का जूता भी रखा हुआ था उनसे उन लोगों ने पिता के बारे में पूछा तो पंकज तिवारी ने बताया था कि काफी देर हो गये ट्यूबवेल चलते आपके पापा पानी बन्द कराने भी नहीं आये फिर उसी समय पंकज तिवारी ने ट्यूबवेल को बंद किया। वह तथा उसकी माँ ने आसपास के खेतों पर पापा को तलाश किया आवाज दिया परन्तु उनकी कोई खबर न मिलने पर वह, उसकी माँ व पंकज तिवारी के साथ घर आ गये थे और आसपास के लोगों से पापा के न मिलने की बात बतायी गयी। धीरे–धीरे अधेरा होने लगा था तो टार्च आदि लेकर उनके साथ पुनः तलाश हेतु वे लोग खेतों की तरफ गये। काफी देर खोज बीन के बाद जब अपने खेतों की तरफ खोज रहे थे तो खेत की मेड़ पर पापा का छाता व फावड़ा पड़ा मिला। उसी समय पुलिस को ११२ नंबर पर भी पापा के न मिलने की सूचना दिया था। उसके साथ उसके बगल का रहने वाला कुलदीप तिवारी व दीपांकर तिवारी भी थे। उसकी मां व अन्य लोग भी आसपास के खेतों में तलाश कर रही थी उसी दौरान टेनी जिस बाग की रखवाली करता था उसी की कुछ दूरी पर धान के खेत के अन्दर जाने के निशान बने हुए थे तो जिज्ञाशा वश कुलदीप अन्दर जाकर देखा तो उसके पापा जगदीश तिवारी धान के खेत में ही चित अवस्था में पड़े थे उसने बताया कि यहाँ पर पड़े है तब उसने व दीपाकर तिवारी ने पास जाकर देखा तो मेरे पिता धान के खेत में मृत अवस्था में पड़े थे। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर पास के खेतों में मौजूद उसकी माँ व अन्य लोग भी वहाँ आ गये। तब तक रात काफी हो गयी थी और उस खेत में पानी भरा था तथा उसने और उसकी माँ के अतिरिक्त घर का कोई भी करीबी सदस्य मौजूद नहीं था तो वे लोग गाँव वालों की मदद से पिता जी के मृत शरीर को घर लाकर दरवाजे पर चारपाई पर रखवा दिया था। दौरान विवेचना संकलित अन्य साक्षीगण के बयान से उपरोक्त कथानक के समर्थन में तथ्य अभिकथित किये गये है।

उपरोक्त समस्त परिस्थितियों पर सम्यक रूप से विचारोपरान्त एवं मामले के गुण दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किये बिना यह न्यायालय इस मत की है कि आवेदक का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने का पर्याप्त आधार नहीं है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त हरिकेश उर्फ टेनी उर्फ पेड़ई का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया जाता है।

(प्रदीप कुमार सिंह–।।)
सत्र न्यायाधीश,
प्रतापगढ़।

दिनांक– ०८.११.२०२२

Digitally signed by PRADEEP KUMAR SINGH
Date: 2022.11.08 17:31:52 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court